27/01/23 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। निर्णय हस्त से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.एस.

प्रकरण संख्या :– 06 / 2020

अपीलाण्टगण

1. मोबताराम वल्द प्रभुराम
2. नरसीराम वल्द प्रभुराम
3. नरसीगाराम वल्द प्रभुराम

कौम रबारी निवासी नया महादेवनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदातागण

1. ग्राम पंचायत पादरडी खुर्द, वर्तमान पंचायत अरटवाव द्वारा सरपंच
2. अर्जुनराम वल्द हेमा
3. मालाराम वल्द हेमा
4. मगाराम वल्द हेमा
5. आसूराम वल्द हेमा
6. मथरोंदेवी पत्नी हेमा
7. मेहराराम वल्द हरकिशन उर्फ हरकेन
8. पनाराम वल्द हरकिशन उर्फ हरकेन
9. नवाराम वल्द हरकिशन उर्फ हरकेन
10. मिसराराम वल्द हरकिशन उर्फ हरकेन
11. हरचन्दराम वल्द हरकिशन उर्फ हरकेन
12. मदरूपाराम वल्द हरकिशन उर्फ हरकेन
13. सदराम वल्द उमा
14. गंगाराम वल्द उमा
15. हरलाल वल्द उमा
16. स्व0 वरधा वल्द उमा लाऔलाद कुंवारा फौत वारिशान उत्तरदाता 2 से 15
17. तेजा वल्द चमना
18. पदमाराम वल्द वागाराम
19. नानजीराम वल्द वागाराम
20. दुरगाराम वल्द वागाराम
21. भावाराम वल्द पाताराम
22. आसूराम वल्द पाताराम
23. तगुदेवी पत्नी पाताराम
24. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे / एस.बी.आई. गुड़ामालानी
25. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 03.06.1960 खसरा संख्या 525 रकबा 73–13 बीघा ग्राम पंचायतरडी खुर्द, वर्तमान राजस्व ग्राम अरटवाव जो तात्कालीन ग्राम पंचायत पादरडी खुर्द द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता अपीलाण्टगण
2. श्री उम्मेदसिंह सोलंकी एवं श्री रामजीवन विश्नोई अधि0 रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:35 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27/01/2023

अपीलान्टगण ने यह अपील ग्राम पंचायत पादरडी खुर्द वर्तमान ग्राम पंचायत अरटवास के राजस्वग्राम नया महादेव नगर के नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

संख्या 91 दिनांक 03.06.1960 के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट्स के दादा स्व0 उमा की फौतेगी नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 03.06.1960 तात्कालीन ग्राम पंचायत पादरडी खुर्द हाल नवसृजित ग्राम पंचायत अरटवाव के राजस्व ग्राम नया महादेव नगर खेत खसरा संख्या 525 रकबा 73-13 बीघा विभक्त होकर वर्तमान खसरा संख्या 525, 526/1, 525/2, 525//3, 525/4, 525/5, 525/6 रकबा कमशः 11-19, 21-19, 5-19, 1-19, 9-19, 9-18, 9-19 बीघा जो कि नामान्तरकरण संख्या 91 के खुलने के बाद खतौनी खेवट में चला आ रहा है जिसमें अपीलान्ट्स के पिता प्रभू का नाम नामान्तरकरणमें दर्ज नहीं कर उसेवंचित कर दिया इसी दिन इसी ग्राम के खेत खसरा संख्या 476, 477 रकबा 0-10, 182-06 बीघा के नामान्तरकरण संख्या 90 के दाखिले के बाद खतौनी खेवट में चला आ रहा है। नामान्तरण संख्या 91 दर्ज करते समय स्व0 उमा के वारिशान हेमा, हरकेन, सरदारा, हरदा उर्फ हरलाल, गंगाराम, वरधा पि0 उमा के नाममान्तरण स्वीकृत किया जो न्याय संगत नहीं है। उक्त नामान्तरकरण से अपीलान्ट्स को पैतृक हकों से वंचित किया गया है, इसीलिये उक्त विधिविरूद्ध पारित नामान्तरकरण को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराकर कर नामान्तरकरण संख्या 90 के अनुसार पारित नामान्तनरण में वारिशान के अनुसार नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु यह अपील लाया जाना आवश्यक होने से पेश की गई साथ ही जानकारी के अभाव में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। .

अपीलान्ट्स की अपील दर्ज कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदातागण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा धारा-5 परिसीमा अधिनियम का जबाव पेश कर लिमिटेशन प्रार्थना पत्र का निर्णय पहले किये जाने का कथन किया। अपीलाण्ट्स की अपील के तथ्यों के अवलोकन से अपील अपीलाण्ट्स में मुददा कानूनी होने से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की ग[illegible]त उत्तरदाता गण की ओर से अपील का जबाव पेश कर कथन किया [illegible] अपीलाधीन खसरा संख्या 525 रकबा 71-13 बीघाकी बन्दोवस्त रामजी वल्द भीमा 1/2, उमा वल्द कुम्पा 1/3, चमना, वाधा पि. नगा 1/3 बशा वल्द मेपाजला 1/3 कौम रबारी के नाम से हुआ, रामजी वल्द भीमा के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्साहेमा वल्द उमा को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 30 भराजाकर स्वीकृत हुआ। नामान्तरकरण स्वीकृति के पश्चात मूल खसरा संख्या 525 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

विभाजन भी हो चुका है विभाजन मौका पर काबिज काश्तकारों के मध्य होता है, अपीलाण्टगण का मौका पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकार समाप्त हो गये है इस कारण यह अपील सारहीन हो चुकी है। यदि अपीलाण्ट्स के पैतृक हक उक्त आराजी में निहित हैं तो खातेदारी घोषणा की चाराजोही के सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद पेश कर सकते थे, 60 साल पुराना नामान्तरकरण की अपील मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उत्तरदातागण की भूमि हड़पने की नीयत से पेश की गई है। 60 वर्ष पूर्व पारित नामान्तरणकरण की अपील की सुनवाई की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को होने से उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय व क्षेत्राधिकार की नहीं होने से अपीलाण्ट्स की अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

अपीलान्ट्स की अपील के तथ्यों के सम्वन्ध में भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट ली गई। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट कमांक 28 दिनांक 02.12.2021 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम पादरडी के नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 03.06.1960 के द्वारा खसरा संख्या 476, 477 रकबा 0–10, 182–06 बीघा में खातेदारउमा वल्द कूपा के वारिसान प्रभु हेमा हरकेन सरदारा हरलाल गंगाराम व वरधा पि0 उमा के नाम दर्ज किये गये जबकि नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 03.06.1960 के द्वारा खसरा संख्या 525 रकबा 71–13 बीघा में प्रभु के अलावा अन्यि वारिसान के नाम दर्ज किये गये। इस नामान्तकरण से खसरा संख्या 525 रकबा 71–13 बीघा में प्रभु वल्द उमा का नाम छूट गया जो अनवरत चला आ रहा है इस कार्यालय के आदेश कमांक–भू.अ./2011/3990 दिनांक 08.07.2011 के द्वारा खसरा संख्या 525 के खातेदारों द्वारा अपनी सहमति से विभाजन किया गया जिससे खसरा संख्या 525, 525/1, 525/2, 525/[illegible]4, 525/5, 525/6 रकबा कमशः 21–19, 11–19, [illegible] 19 बीघा का सृजन हुआ, खसरा संख्या 525/2, 525/3, [illegible]/4, 525/5, व 525/6 उमा वल्द कुपा के वारिसान के नाम खसरे हैं जिसमें प्रभु के वारिसान के नाम शामिल किये जाना उचित है। प्रभु वल्दउमा के मथरा जमना पुत्रियां प्रभुराम हैं। खसरा संख्या 476, 477 रकबा 0–10, 182–06 बीघा में प्रभु वल्द उमा के वारिसान के नाम दर्ज हैं तथा उक्त खसरे अविभाजित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 90 व 91 एक ही दिनांक 03.06.1960 को ग्राम पंचायत पादरडी खुर्द द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। नामान्तरणकरण संख्या 90 में अपीलाण्ट्स के पिता प्रभु का नाम अंकित किया गया है परन्तु नामान्तरकण संख्या 91 में उत्तरदाता के पिता प्रभु का नाम अंकित नहीं किया गया है, जबकि उक्त दोनों ही नामान्तकरण अपीलाण्ट्स के प्रभु के पिता उमा की फौतगी पर भरे गये हैं। नामान्तरकरण संख्या 91 में प्रभु का नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स व उत्तरदातागण द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। लेकिन दोनों ही नामान्तरणकरण अपीलाण्ट्स के दादा उमा की फौतगी पर भरे गये हैं जिनमें से एक नामान्तरणकरण में उमा के वारिसान प्रभु पुत्र उमा का नाम अंकित किया गया है तथा दूसरे नामान्तरणकरण में प्रभु पुत्र उमा का नाम अंकित नहीं किया गया है, चूंकि दोनों ही नामान्तरकरण एक ही दिन भरे गये इससे प्रथमदृष्ट्या यही प्रतीत होता है नामान्तरणकरण संख्या 91 में प्रभु पुत्र उमा का नाम सहवन से अंकित किये जाने से छूट गया है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 91 को स्वीकृत करते समय विधिक वारिसान की जांच का अभाव पाया जाता है। विधिक वारिसान की जांच धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा ही की जा सकती थी, जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ग्राम पंचायत को बिना विधिक वारिसान की जांच किये नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिये ग्राम पंचायत का उक्त आदेश कायम रखने योग्य नहीं होने से अपील अपीलाण्टगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 91 दिनांक 03.06.1960 जो ग्राम पंचायत पादरडीखुर्द हाल ग्राम पंचायत अरटवाव द्वारा पारित किया गया, को निरस्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत जांच अपेक्षित है इसलिये प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को प्रतिप्रेषित किया जाता है और आदेश ... बाद जांच विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27/1/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) गुड़ामालानी